न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 22/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2013/00876**
दायर दिनांक :— 23.09.2023 **निर्णय दिनांक :— 28.10.2024**

1. जीवणराम पुत्र दलुराम फौत क कायम मुकाम
1/1 गणपतराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 भीखाराम पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. बगडूराम पुत्र घोकलराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. देवाराम पुत्र घोंकलराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. बाबूराम पुत्र घोंकलराम फौत के कायम मुकाम

4/1 विनोद पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4/2 गोमतीदेवी पत्नी बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4/3 विक्रम पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4/4 इन्द्रा पुत्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 75—02 बीघा ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी एवं नक्शा की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के दक्षिण तरफ के पड़ोसी खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 188 के दक्षिणी सीमा पर बाड़, तारबंदी करने से मना किया तो प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 188 की पैमाईश का आदेश तहसीलदार फलोदी से जारी करवाया और आदेश क्रमांक 2882 दिनांक 14.08.2012 की पालना में राजस्व टीम से दिनांक 12.12.2012 को मौका पर पैमाईश करवाकर खसरा नम्बर 188 एवं पड़ोसी खातेदारान के खेत खसरा नम्बर 185 के बीच की सीमा पर बाद पैमाईश सीमा चिन्ह कायम करवाये गये। राजस्व टीम द्वारा मौका पर रूबरू मौतबिरान दोनो पक्षों की उपस्थिति में खसरा नम्बर 188 की दक्षिणी सीमा पर पैमाईश करवाने के बाद प्रार्थी ने दक्षिणी सीमा पर तारबंदी करने हेतु सीमा चिन्हो के माफिक पत्थर पटी के टुकड़े गाड़कर तारबंदी किया, परन्तु पड़ोसी खसरा नम्बर 185 के खातेदारान् द्वारा प्रार्थी के दक्षिण सीमा पर गाड़े गये पत्थर पटी के टुकड़ों को उखेड़कर फैक दिया, जबकि प्रार्थी की फसल में हर वर्ष तारबंदी, बाड़ नहीं होने से पशु नुकसान करते है और पड़ोसी खातेदारान प्रार्थी को खसरा नम्बर 188 की दक्षिणी सीमा पर बाड़, तारबंदी करने पर बल प्रयोग कर

28.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested

जानबूझकर बाघा पहुंचाकर प्रार्थी को नुकसान पहुचाने पर आमादा है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत की दक्षिणी सीमार पर पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार पर करवाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता किशनाराम विश्नोई ने वकालतानाम व जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/4 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी तहसीलदार बाप द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि गांव श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 12.1567 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि मौका फर्द दिनांक 07.01.2021 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि गांव श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 12.1567 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थीगण पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 07.01.2021 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 188 रकबा 12.1567 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 07.01.2021 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुखाराम पिंडेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)